

18/4/19

~~वकील~~ पत्रावली पेश हुई। व कुलभय उपर)

वकील वादी ने जो पत्र पेश कर निवेदन  
दिया कि वादीनी स्वामीजी ने प्रवीण सिंह को  
गोद लिया बाद में प्रवीण सिंह की 2018 में  
मृत्यु हो गई, प्रवीण सिंह शादी कुरा नहीं था  
उसके, माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्रिया नहीं  
होने से वकील वादी इस वाद को नोट  
प्रेस करते हैं। अतः वादी का वाद नोट  
प्रेस में खारिज किया जाना है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर हो सकता है।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली